

न्यायालय—श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला धमतरी (छ.ग.)

// संशोधित दांडिक कार्य विभाजन आदेश //

क्र. — / सी.जे.एम. / 2025

धमतरी, दिनांक 06.10.2025

वर्तमान में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेशानुसार जिला न्यायालय स्थापना धमतरी, जिला धमतरी में पदस्थ श्री प्रणव वैद्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान किये जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी दांडिक कार्य विभाजन आदेश क्र.... / सी.जे.एम. / 2025 धमतरी, दिनांक 06.09.2025 में वृहद स्तर पर संशोधन किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होने से, उक्त कार्य विभाजन आदेश के अनुसूची 'स' के अंतर्गत रिमांड ड्यूटी आदेश में जिला मुख्यालय धमतरी के परिपेक्ष्य में आवश्यकतानुसार निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 07 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगा—

// अनुसूची "स" //
संशोधित रिमांड ड्यूटी

न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय धमतरी में समय दोपहर 03.00 बजे को न्यायालय में उपस्थित होकर रिमांड ड्यूटी अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे—

न्यायालय (जिला मुख्यालय धमतरी)

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	तिथि	रिमाक्र
01	कु. मीनू नंद जेएमएफसी धमतरी	माह के 01 से 15 तारीख के दरम्यान पड़ने वाले अवकाश दिवस में	
02	श्री प्रणव वैद्य जेएमएफसी धमतरी	माह के 16 से 31 तारीख के दरम्यान पड़ने वाले अवकाश दिवस में	

आवश्यक टीप :-

01. उपरोक्तानुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश के दिनों में रिमांड कार्य करना सुनिश्चित करेंगे तथा शासन द्वारा या मान. उच्च न्यायालय द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में अवकाश घोषित किये जाने पर भी उपरोक्तानुसार ही रिमांड कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

02. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी की लिखित अनुशंसा पर एवं मान. जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी की अनुमति प्राप्त होने पर ही किसी भी प्रकार के अवकाश पर अपने मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

(श्रीमती तनु श्री गवेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

- 02.** माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी/श्रृंखला न्यायालय कुरुद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 03.** माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 04.** माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय में प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 05.** माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 06.** कु. दीपा सुचिता तिकी— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 07.** श्री रजत कुमार निराला— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 08.** कु. मीनू नंद— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी को पालनार्थ प्रेषित।
- 09.** श्री निलेश कुमार बघेल — न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 10.** श्री प्रणव वैद्य — न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी को पालनार्थ प्रेषित।
- 11.** कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 12.** पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी को जिले के संबंधित थानों में प्रतिलिपि प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित।
- 13.** मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिक निगम धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 14.** वनमंडलाधिकारी धमतरी को जिले के समस्त वन कार्यालय में प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित।
- 15.** अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ धमतरी/कुरुद/नगरी को सूचनार्थ।
- 16.** जिला अभियोजन अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ।
- 17.** प्रमुख एल.ए.डी.सी.एस. जिला धमतरी को सूचनार्थ।
- 18.** जिला परिवहन अधिकारी धमतरी को सूचनार्थ।
- 19.** यातायात शाखा धमतरी को सूचनार्थ।
- 20.** जिला आबकारी अधिकारी धमतरी को सभी वृत्तों के प्रभारी को प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित।
- 21.** प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी।


(श्रीमती तनु श्री गवेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)